अध्याय-3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

3.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमिताओं, दुर्विनियोजन, और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद भी करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा में पाये गए कुछ मामले नीचे दिये गये हैं।

लोक निर्माण विभाग

3.1.1 अतिरिक्त भुगतान

मूल्यवृद्धि के समायोजन की गणना में गलत सूचकांक लिये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 67.74 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर 16 उच्चस्तरीय पूलों के निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी (सितंबर 2005 और मार्च 2006 के बीच)। तदनुसार कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, अंबिकापुर ने एकमुश्त ठेका पर 16 कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की थी। ₹ 17.91 करोड़ की राशि के लिए निविदायें स्वीकृत की गयी तथा कार्य आदेश जारी होने के 16 महीने (वर्षा ऋतु को छोड़कर) के भीतर कार्य समाप्ति के लिए मेसर्स उत्तम कंस्ट्रक्शन को एकमुश्त ठेका पर कार्य आदेश जारी किया गया (फरवरी 2006) और ठेकेदार के साथ दो अनुबंध[1] निष्पादित किया गया। कार्य के निष्पादन के दौरान अनुबंध में चार और कार्यों (प्रत्येक अनुबंध में दो कार्य) को पूरक कार्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। सभी कार्य पूर्ण हो गये थे (फरवरी 2008) और ठेकेदार को ₹ 31.12 करोड़ का भुगतान किया गया था (मई 2008 और जनवरी 2009)।

1

स.क्र.	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	कार्य आदेश संख्या /दिनांक	ठेके की राशि (₹ करोड़ में)	अंतिम देयक में भुगतान की राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	31डी एल/ 2005-06	मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर नदी के उपर कि.मी 65/10 से 94/4 (संख्या 8) में पहुँच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	537/ 22.02.2006	9.00	15.75	पुरक कार्य के रूप में दो और पुलों का निर्माण किया गया।
2	32 डी एल/ 2005-06	मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर नदी के उपर कि.मी 23/10 से 58/10 (संख्या 8) में पहुँच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	584/ 28.02.2006	8.91	15.37	पुरक कार्य के रूप में दो और पुलों का निर्माण किया गया।

अनुबंध की कंडिका 2.33 के अनुसार, विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित सूत्रों[2] के अनुसार श्रम, सामग्रियों और पीओएल[3] की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए ठेका राशि समायोजित की जावेगी । आगे, श्रम के लिए कीमत को समायोजित करने के लिए निर्धारित सूत्र के अनुसार कार्यस्थल अथवा कार्य नगर के सबसे नजदीकी नगर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू होगा। इसी प्रकार इस्पात के मूल्य को समायोजित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रकाशित इस्पात (बार्स एवं रॉड्स) का थोक मूल्य सूचकांक लागू होगा।

कार्यपालन अभियंता के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2012) में देखा गया कि, अनुबंध की कंडिका 2.33 के अनुसार निविदा आमंत्रण दिनांक (जनवरी 2006) की तुलना में विचारणीय माह में श्रम, सामग्रियों और पीओएल आदि घटकों की दरों में आयी वृद्धि या कमी के कारण इन घटकों के मूल्य समायोजन की गणना की जानी थी। उपरोक्त कंडिका में निर्धारित तरीके के अनुसार जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** (₹ 1.12 करोड़) और ***परिशिष्ट 3.2*** (₹ 1.37 करोड़) में दर्शाया गया है, ठेकेदार को ₹ 2.49 करोड़ भुगतान योग्य था।

हालांकि, अनुबंध में निर्धारित सूत्रों के अनुसार मूल्य वृद्धि की गणना करने के दौरान विभाग ने अनुबंध में नियत मूल्य सूचकांकों पर विचार नहीं किया तथा गणना कर ठेकेदार को ₹ 3.16 करोड़ का भुगतान किया गया। अतः, कार्यपालन अभियंता द्वारा गलत मूल्य सूचकांक के प्रयोग के कारण ठेकेदार को ₹ 67.74 लाख (₹ 28.33 लाख + ₹ 39.41 लाख) का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट 3.1 एवं परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने (मई 2013) पर शासन ने मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण ठेकेदार को हुए ₹ 39.16 लाख[4] के अधिक भुगतान को स्वीकार किया (अगस्त 2013) तथा कहा कि ठेकेदार से इस राशि की वसूली की जाएगी। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 1993-94 से इस्पात (बार्स एवं रॉड्स) के संशोधित थोक मूल्य सूचकांक को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर स्टील और आयरन (रिबार्स) का सूचकांक दिया गया है। इसालिए लेखापरीक्षा द्वारा इस्पात घटक के लिये की गई अधिक भुगतान की गणना स्वीकार्य नहीं है।

---

[2]

1	श्रम घटक के लिए समायोजन	$0.85 \times P_l \times 100 \times R \times (L_i-L_0)/L_0$
2	सीमेन्ट घटक के लिए समायोजन	$0.85 \times P_c \times 100 \times R \times (C_i-C_0)/C_0$
3	स्टील घटक के लिए समायोजन	$0.85 \times P_s \times 100 \times R \times (S_i-S_0)/S_0$
4	पी ओ एल घटक के लिए समायोजन	$0.85 \times P_f \times 100 \times R \times (F_i-F_0)/F_0$
5	अन्य सामग्री घटक के लिए समायोजन	$0.85 \times P_m \times 100 \times R \times (M_i-M_0)/M$

[3] पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेन्ट

[4] श्रम ₹ 27.85 लाख, स्टील ₹ 6.44 लाख, अन्य सामग्री ₹ 0.69 लाख और सीमेन्ट ₹4.18 लाख।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अनुबंध की कंडिका 2.33 के अनुसार इस्पात घटक के मूल्यों का समायोजन करने के लिए इस्पात सूचकांक (बार्स और रॉड्स) पर विचार किया जाना चाहिए था। विभाग का इस्पात (बार्स एवं रॉड्स) के सूचकांक को हटाये जाने का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वेबसाईट पर अगस्त 2010 तक की अवधि के लिये ये सूचकांक उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इस्पात (बार्स एवं रॉड्स) के मूल्य सूचकांक को हटाये जाने के समर्थन में कोई भी दस्तावेज विभाग प्रस्तुत नहीं कर पाया।

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

3.1.2 अनियमित भुगतान

व्यक्तियों/संस्थाओं से टीडीएस की कटौती नहीं/कम किये जाने के फलस्वरूप ₹ 39.33 लाख का अनियमित भुगतान।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी, 194 आई और 194 जे के प्रावधानानुसार, संविदा, किराये, व्यवसायिक तथा तकनीकी सेवाओं के लिये व्यक्तियों/ संस्थाओं को किये गये भुगतान में से संबंधित वित्त वर्ष के वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) को सुनिश्चित करने तथा उसे समय पर आयकर के प्राप्ति शीर्ष 0021 में जमा कराने का वैधानिक उत्तरदायित्व कार्यालय के संबंधित अधिकारी का होता है।

संचालक,संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2012) में यह पाया गया कि अवधि 2007-08 से 2009-10 के दौरान विविध संविदा, किराया, व्यवसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिये 411 संस्थाओं को ₹ 3.20 करोड़ का भुगतान किया गया था। भुगतान की राशि से कटौती योग्य टीडीएस राशि की कटौती या तो कम की गई या फिर की ही नहीं गई। सहायक आयुक्त आयकर विभाग (टीडीएस), रायपुर द्वारा टीडीएस और उस पर उपार्जित ब्याज की राशि ₹ 39.33[5] लाख की मांग की गई (नवम्बर 2009 और मार्च 2011)

5

मांग जारी करने का दिनांक	मांग का विवरण	राशि (₹)	जमा का विवरण	
			दिनांक	राशि (₹)
4/11/09	2007-08 से 2009-10 अंतर राशि	32,01,411	15/1/10 31/3/10	6,31,411 25,70,000
11/3/11	2007-08 से 2009-10 ब्याज	7,31,829	28/3/11	7,31,829
योग		**39,33,240**		**39,33,240**

तदनुसार, विभागीय बजट से राशि ₹ 39.33 लाख[6] आहरित किया गया और आयकर विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया गया (जनवरी 2010, मार्च 2010, मार्च 2011)।

चूँकि इस शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधि का संबंध कला और संस्कृति के उन्नयन से संबंधित लेन-देनों से था, संस्थाओं/ व्यक्तियों से कर राशि की वसूली करने के बजाय इस निधि से राशि आहरित कर टीडीएस का भुगतान किया जाना अनियमित था और साथ ही नियमों और अधिनियमों के विपरीत भी था। अतः संचालक ने टीडीएस की देय राशि की वसूली कम नहीं कर न केवल ₹ 39.33 लाख की देयता उत्पन्न की बल्कि बजट से अनियमित भुगतान भी किया। आगे जाँच में पाया गया कि जनवरी और मार्च 2010 में भुगतान करने के बाद भी संचालक ने संबंधित संस्थाओं/ व्यक्तियों से टीडीएस की अंतर राशि की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाये।

इस ओर इंगित किये जाने (जनवरी 2012) पर संचालक,संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने कहा (जून 2013) कि आयकर विभाग द्वारा टीडीएस की दरें संशोधित की गई थी जो रोकड़ पाल के संज्ञान में नहीं था। आयकर आयुक्त द्वारा ब्याज सहित अंतर राशि को जमा करने हेतु जारी किये गये नोटिस के दबाव में जुर्माने से बचने के लिए विभिन्न शीर्षों की बचत राशि से टीडीएस और उसपर देय ब्याज की राशि का भुगतान आयकर विभाग को किया गया तथा यह भी कहा गया कि शासन में कार्योत्तर स्वीकृती प्राप्त की जावेगी। डिफाल्टरों को अन्तर राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा संस्थाओं से राशि प्राप्त करने के बाद सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभिन्न सेवाओं पर देय टीडीएस की कटौती करने तथा उसे समय पर जमा करने के वैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में विभाग असफल रहा। आगे, आयकर विभाग को देय राशि भुगतान करने (जनवरी और मार्च 2010) के बावजूद संचालक ने संस्थाओं/व्यक्तियों से राशि वसूल करने के कदम नहीं उठाये तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के दो वर्ष के उपरांत सितम्बर 2012 में कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यहां तक की विभाग ने नोटिस जारी करने के बाद भी संबंधित संस्थाओं से देय राशि की प्राप्ति नहीं की थी (अगस्त 2012)।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया था (सितम्बर 2012), और अनुस्मारक जारी किया गया था (सितम्बर 2013)। जवाब अभी तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2013)।

6

स्वीकृति का दिनांक	राशि (₹)	योग (₹)
6/1/10	6,31,411	23,33,240
27/3/10	9,70,000	
24/3/11	7,31,829	
27/3/10	8,50,000	16,00,000
27/3/10	7,50,000	
योग		**39,33,240**

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण

लोक निधि से व्यय के प्राधिकार का नियंत्रण सार्वजनिक व्यय के औचित्य और दक्षता के सिद्धान्तों के द्वारा किया जाता है। व्यय करने के प्राधिकारी से अपेक्षित है कि उसी तरह कि सर्तकता बरतें जैसे कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है तथा हर कदम पर वित्तीय आदेश एवं दृढ़ मितव्ययिता को लागू किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के मामले पाये गये है।

जल संसाधन विभाग

3.2.1 अधिक भुगतान, अतिरिक्त व्यय और निधि का अवरूद्ध रहना।

हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के निर्माण में अधिक भुगतान और अदेय लाभ के मामले पाये गये।

हल्दीमुण्डा योजना के अंतर्गत 53 नग पक्के स्ट्रक्चर सहित राइट बैंक मेन केनाल के चैनेज 497 से 1024 के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार (प्रथम ठेकेदार) को कार्य की अनुमानित राशि ₹ 14.08 करोड़ के विरूद्ध ₹ 11.67 करोड़ की राशि के लिए कार्यादेश जारी करने (मार्च 2006) से 21 महीने में पूर्ण किये जाने (सितम्बर 2007) के लिये दिया गया। कार्य की पूर्णता के बिना ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (जुलाई 2009) और ₹ 11.97 करोड़ की राशि ठेकेदार को भुगतान की गयी (नवम्बर 2011)।

पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के दो वर्ष पश्चात, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर द्वारा प्रमुख अभियंता, बिलासपुर को शेष कार्य के निष्पादन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (जून 2011) जिसे मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2011)। बाद में, शेष कार्य उसी ठेकेदार (द्वितीय ठेकेदार) को ₹ 3.58 करोड़ के लिये प्रदान किया गया (अप्रैल 2012)। ठेकेदार को चल लेखा देयक से ₹ 28.06 लाख का भुगतान करने (सितम्बर 2012) के बाद अनुबंध को कार्यापालन अभियंता द्वारा समाप्त कर दिया गया (जनवरी 2013)।

उपरोक्त दोनों अनुबंधों से संबंधित अभिलेखों की जांच (दिसम्बर 2012) से निम्नलिखित बातों का पता चलाः-

(i) माप पुस्तिका में मात्राओं की गलत गणना के कारण ₹ 1.28 करोड़ का अधिक भुगतान

पहले अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को ₹ 5.90 करोड़ मूल्य के 1,63,267 घन मी (₹ 39 प्रति घन मी की दर से) का खुदाई कार्य तथा 10,11,529 घन मी (₹ 52 प्रति घन मी की दर से) का मिट्टी कार्य करना था। इसके विरूद्ध ठेकेदार द्वारा माप पुस्तिका (एमबी) में 1,79,594 घन मी खुदाई कार्य और 11,12,682 घन मी

मिट्टी कार्य अभिलेखित कर दर्शाया गया और अंतिम बिल में ₹ 6.49 करोड़[7] का भुगतान ठेकेदार को किया गया।

एमबी में प्रविष्टित खुदाई के स्तर (केनाल बेड स्तर तक) और मिट्टी कार्य और कार्य के संगत मात्रा की गणना की जाँच में यह पाया गया कि 1,89,841.90 घन मी खुदाई कार्य तथा 8,59,715.92 घन मी[8] मिट्टी कार्य के वास्तविक निष्पादन के विरूद्ध एमबी में 1,79,593.70 घन मी खुदाई कार्य और 11,12,681.92 घन मी मिट्टी कार्य की गणना दर्शायी गयी थी। खुदाई कार्य 10,248.20 घन मी कम बताया गया जबकि मिट्टी कार्य 2,52,966 घन मी ज्यादा दिखाया गया। हमने यह भी पाया कि 99 चैनेजों में न्यून दर (₹ 39)पर भुगतान योग्य खुदाई कार्य को अधिक दर (₹ 52) पर भुगतान योग्य मिट्टी कार्य के अंतर्गत अभिलेखित किया गया। खुदाई कार्य को कम दर्शाने और मिट्टी कार्य को ज्यादा दर्शाने के परिणामस्वरूप जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में वर्णित है। खुदाई कार्य में ₹ चार लाख का कम भुगतान एवं मिट्टी कार्य में ₹ 1.32 करोड़ के अधिक भुगतान हुआ परिणामस्वरूप निबल ₹ 1.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) वास्तविक कार्य निष्पादन के बिना ₹ 33.39 लाख का भुगतान

हमने आगे पाया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत किये गये शेष कार्य को पुरा करने के प्रस्ताव में 84,175 घन मी खुदाई कार्य और 3,49,265 घन मी मिट्टी कार्य को अधूरा दिखाया गया था। प्रस्ताव में यह भी बताया गया था कि प्रथम ठेकेदार ने 79,092 घन मी खुदाई तथा 6,62,264 घन मी मिट्टी कार्य किया था। जबकि एमबी में दर्शाया गया था कि पहले ठेकेदार ने 1,79,594 घन मी खुदाई और 11,12,681 घन मी मिट्टी कार्य किया था और उक्त कार्यों का भुगतान भी ठेकेदार को किया गया था। प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत प्रस्ताव में खुदाई कार्य में 1,00,502 घन मी और मिट्टी कार्य में 4,50,417 घन मी की कमी का चित्रण पूर्व में निष्पादित दर्शाये गये कार्यों एवं पहले ठेकेदार को किये गये भुगतान के संबंध में सूचना को छुपाना दर्शाता है।

उपरोक्त के अलावा हमने यह भी पाया कि एमबी में उल्लेखित पहले ठेकेदार द्वारा निष्पादित स्तर और दुसरे ठेकेदार के प्राक्कलन में दर्शाये गये मौजूदा स्तर अलग अलग थे। स्तरों में अंतर किये गये खुदाई कार्य में 5.023 मी तक और किये गये मिट्टी कार्य में 11.359 मी तक था, कुछ रिचेस में स्तरों के अंतर का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि शेष कार्य के प्राक्कलन में दर्शाये गये मौजूदा स्तर के अनुसार पहले ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा किया गया था। शेष कार्य के प्राक्कलन में मौजूद इन स्तरों के अनुसार पहले ठेकेदार को भुगतान किये गये 42,341.173 घन मी की खुदाई और 32468.10 घन मी का मिट्टी कार्य वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** और ***परिशिष्ट 3.6*** में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पहले ठेकेदार को ₹ 33.39 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

---

[7] खुदाई ₹ 39 की दर से x179594 घन मी. एवं मिट्टी कार्य ₹ 52 की दर से x1112682 घन मी

[8] संघनन कार्य पश्चात मिट्टी कार्य के माप की मात्रा

शेष कार्यों के लिये निविदा बुलाये जाने, जबकि इन्हे पहले ठेके में पूर्ण दर्शाया गया था पर कार्यपालन अभियंता द्वारा तात्कालीन कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी और उप-अभियंता से मांगे गये स्पष्टीकरण (अगस्त 2012) लेखापरीक्षा में पायी गयी आपत्ति को समर्थित करती थी। कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना ठेकेदार को किये गये भुगतान का तथ्य कार्यपालन अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को सूचित (नवम्बर 2012) किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2012) कार्यपालन अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य में संलिप्त अधिकारियों से स्तर में भिन्नता का कारण पूछा गया था एवं संबंधित अधिकारियों से जवाब न मिलने के कारण ठेकेदार को भुगतान की गई राशि संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिम में प्रभारित की गई है। कार्यपालन अभियंता ने आगे बताया (जून 2013) कि उच्च अधिकारियों को प्रकरण से अवगत करा दिया गया है (नवम्बर 2012) और उनके आदेशानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि उपर्युक्त माप अभिलेखन के बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया।

(iii) कार्य निष्पादन में विलंब के लिए जुर्माना अधिरोपित न किये जाने के कारण ₹ 1.13 करोड़ की अवांछित मदद

कंडिका 4.3.2 (अ) निर्धारित करता है कि, निविदा में निर्दिष्ट कार्य समाप्ति के लिए अनुमत्य समय का ठेकेदार द्वारा दृढ़ता से पालन करना चाहिए और ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश दिये जाने के दिनांक से समय की गिनती की जावेगी। उपर्युक्त दिनांक के बाद बचे हुए अधूरे कार्य के लिये निविदा में वर्णित प्राक्कलित लागत की एक प्रतिशत के बराबर राशि अथवा ऐसी कम राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा मुआवजे के रूप में प्रतिदिन के लिये किया जावेगा जो कार्यपालन अभियंता /अधीक्षण अभियंता /मुख्य अभियंता द्वारा निर्णित किया जावे। शर्त यह है कि इस कंडिका के प्रावधान के अंतर्गत भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की कुल राशि कार्य के अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

हमने पाया कि निर्धारित समयावधि (दिसम्बर 2007) के भीतर कार्य करने में पहला ठेकेदार असफल रहा और दिसम्बर 2008 तक की समयवृद्धि की मांग की गयी। ठेकेदार द्वारा विलंब का कारण (i) अधिक वर्षा होना (ii) मजदूरों की कमी और (iii) सामग्री की कमी को बताया गया। यद्यपि, ठेकेदार द्वारा दिसम्बर 2008 तक समयवृद्धि की मांग की गयी, परंतु सिर्फ फरवरी 2008 तक समयवृद्धि स्वीकृत की गई और आगे मार्च 2008 से दिसम्बर 2008 तक की समयवृद्धि स्वीकृत नहीं की गई। हालांकि,कार्यपालन अभियंता ने कार्य जुलाई 2009 में पूर्ण हुआ दिखाते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया (सितम्बर 2010)। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना और पहले ठेकेदार द्वारा कार्य पुरा कर पाने में असफल रहने पर ठेके के अंतिमीकरण हेतु कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुभागीय अधिकारी को जारी किये गए निर्देश (सितम्बर 2010) और अधीक्षण

अभियंता द्वारा कार्यपालन अभियंता को जारी किये गये निर्देश (अक्टूबर 2010) विरोधाभासी थे।

चूंकि ठेकेदार समयावृद्धि में भी कार्य पूरा नहीं कर पाया, कार्यपालन अभियंता को कंडिका 4.3.2(अ) के अनुरूप जुर्माने का अधिरोपन करना चाहिये था। हांलाकि, ठेके के संबंधित कंडिकाओं के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने के बजाय कार्यपालन अभियंता ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया और बिना जुर्माना अधिरोपित किये ठेकेदार को अंतिम बिल का भुगतान ₹ 1.13 करोड़ जारी कर दिया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.13 करोड़[9] की अवांछित मदद मिली।

उत्तर में, कार्यपालन अभियंता ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय पश्चात जुर्माना, यदि कोई हो की वसूली उपलब्ध प्रतिभूति जमा से की जावेगी।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकृति है। आगे, संभाग के पास कोई प्रतिभूति जमा उपलब्ध नहीं थीं हालांकि, समयवृद्धि का प्रकरण अभी तक लंबित था (जून 2013)।

चूंकि हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना का अनुमोदन 2840.00 हेक्टअर[10] भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से किया गया था, नहर और शीर्ष कार्य दोनों पर ₹ 12.25 करोड़ खर्च किये जाने के बाद भी कार्य अधूरा रहने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ और सिंचाई सुविधा प्राप्त करने से जशपुर जिलों के लोग वंचित रहे।

इस ओर इंगित किये जाने (जुलाई 2013) पर शासन ने बताया (नवम्बर 2013) कि प्रकरण की जाँच के लिये एक जांच समिति का गठन (अक्टुबर 2013) किया जा चुका है।

3.3 दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलता

जनता के जीवन की गुणवता में सुधार लाना सरकार का एक उत्तरदायित्व है, जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं लोक सेवा इत्यादि के विकास एवं उन्नयन के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। फिर भी, लेखापरीक्षा के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ दुविधा, प्रशासनिक दृष्टिकोण के अभाव एवं विभिन्न स्तर पर मिली–जुली कार्यवाही के कारण समुदाय के लाभ के लिए परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी राशि अप्रयुक्त/अवरूद्ध और/या निष्फल/ अनुत्पादक रही। नीचे कुछ प्रकरणों पर चर्चा की गयी है।

[9] ₹ 14.08 करोड़ का आठ प्रतिशत

[10] खरीफः 1950.00 हेक्टेअर और रबीः 890.00 हेक्टेयर

लोक निर्माण विभाग

3.3.1 शासन को हानि

नांदघाट सेतु पर पथ कर वसूली के ठेके के अविवेकपूर्ण समाप्ति के कारण शासन को ₹ 25.65 लाख की हानि

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग-2, रायपुर, द्वारा भारतीय पथकर अधिनियम 1851 (1851 के VIII) के अनुभाग 2 के अंन्तर्गत नांदघाट सेतु[11] पर दस माह तथा 11 दिन (21/05/2010 से 31/03/2011) तक पथकर वसूली के लिए ठेके की अनुमानित राशि लगभग ₹ 2.77 करोड़ की राशि की निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई थी। निविदा का अंतिमीकरण किया गया और ₹ 3.80 करोड़ के लिए दस माह तथा 11 दिन की अवधि के लिए दिनांक 03/08/2010 से 14/06/2011 तक पथ कर को संकलित/वसूली करने का लीज मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन बिलासपुर (ठेकेदार) को दिया गया। लीज राशि सात किस्तों[12] में जमा की जानी थी। तदनुसार कार्यपालन अभियंता और ठेकेदार के बीच अगस्त 2010 में अनुबंध निष्पादित किया गया।

लीज अनुबंध की कंडिका 1(अ) और (ब) के अनुसार, ठेकेदार की प्रतिभुति जमा और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा से ठेकेदार की किसी भी प्रकार की देय राशि की कटौती की जा सकती थी।

लीज अनुबंध की कंडिका 15[13] ठेकेदार के द्वारा किसी किस्त के भुगतान में असफल रहने की स्थिति में कार्यपालन अभियंता को विभागीय स्तर पर कार्य को जारी रखने अथवा शेष अवधि के लिए नीलामी द्वारा पुनः बिक्री करने का अधिकार देता था।

लीज अनुबंध की कंडिका 16 आगे यह "नियत करता है कि, नियत दिनांक तक ठेकेदार द्वारा कोई किस्त की राशि जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार ऐसी चूक किये जाने के दिनांक से ऐसी किस्त पर दस प्रतिशत कि वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। किस्त के भुगतान के लिए तीन दिन की ग्रेस अवधि दी जावेगी।"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक-2, रायपुर के नमूना जाँच (सितम्बर 2012) में पाया गया कि लीज अनुबंध की कंडिका 1(अ) और

---

[11] राष्ट्रीय राजमार्ग 200 का किमी 66/2-8

[12] दिनांक 18.08.2010 तक पहली किस्त ₹ 37.97 लाख, दिनांक 07.10.2010 तक दूसरी ₹ 56.95 लाख, दिनांक 22.11.2010 तक तीसरी ₹ 56.95 लाख, 06.01.2011 तक चौथी ₹ 56.95 लाख, दिनांक 20.02.2011 तक पांचवी ₹ 56.95 लाख, दिनांक 06.04.2011 तक छठवीं किस्त ₹ 56.95 लाख, और दिनांक 20.05.2011 तक सातवीं किस्त ₹ 56.95 लाख।

[13] लीज अनुबंध की कंडिका 15 यह नियत करता था कि, नियत दिनांक तक किसी किरत अथवा किराये के भुगतान में असफल रहने तथा उपरोक्त (भारतीय पथकर अधिनियम) VIII के किसी प्रावधान अथवा लीज के किसी शर्त की अवहेलना करने या अनुपालन न करने पर कार्यपालन अभियंता के विवेक पर कार्य को जारी रखा जावे अथवा विभागीय स्तर पर किया जावे अथवा शेष बचे हुए भाग के लिए पुनः निलामी द्वारा कराया जावे ऐसी स्थिति में शासन को हुई हानि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

1(ब) के अनुसार, ठेकेदार ने ₹ 38 लाख के प्रतिभूति जमा एफडीआर के रूप में और ₹ 75 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी के रूप में दी थी। आगे, लीज अनुबंध की कंडिका 2 के अनुरूप ठेके की राशि को सात किस्तों में जमा कराने की आवश्यकता थी। हालांकि, ठेकेदार पहली किस्त ₹ 37.97 लाख नियत तारीख (19/08/2010) तक जमा करने में असफल रहा। कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 20/08/2010 को ठेकेदार को इसके लिये नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के सात दिनों के अन्दर दिनांक 27/08/2010 को लीज अनुबंध की कंडिका 15 के अन्तर्गत अनुबंध समाप्त कर दिया गया तथा दिनांक 27/08/2010 से संभाग ने पथ कर की वसूली विभागीय स्तर पर शुरू कर दी।

संवीक्षा में आगे यह पाया गया कि, अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर पंहुचा, जहां न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति को खारिज कर दिया और ठेकेदार के पक्ष में फैसला दिया (अक्टुबर 2010)। तदनुसार, पथ कर वसूली का काम पुनः ठेकेदार को 11/10/2010 को सौंप दिया गया। ठेकेदार ने दिनांक 14/06/2011 तक पथ कर वसूला और कुल ₹ 1.19 लाख[14] प्रतिदिन की दर से कुल ₹ 3.23 करोड़ की राशि जमा की और विभाग ने दिनांक 27/08/2010 से 11/10/10 (45 दिन) की अवधि में ₹ 0.62 लाख प्रति वर्ष की दर से कुल ₹ 27.78 लाख संग्रहित किये जो प्रतिदिन ₹ 0.57 लाख कम था तथा 45 दिनों में कुल ₹ 25.65 लाख की हानि परिलक्षित हुई।

अतः ठेके के अविवेकपूर्ण समाप्ति और विभाग के अनुवर्ती पथ कर वसूली के परिणामस्वरूप ₹ 25.65 लाख की हानि शासन को हुई।

इसे इंगित किए जाने (मई 2013) पर शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि अनुबंध की कंडिका 15 के अनुसार ठेका समाप्त किया गया था, चूंकि समाप्ति के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, विभाग द्वारा अनुबंध को पुनर्जीवित किया गया और ठेकेदार को पथ कर वसूलने की पुनः अनुमति दी गई। शासन ने आगे यह कहा कि ठेकेदार को दिनांक 20/08/2010 को नोटिस जारी किया गया था। परन्तु सूचना प्रेषित किये जाने के छः दिन बाद तक ठेकेदार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, अतः दिनांक 27/08/2010 को ठेका रद्द किया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चूक किये जाने के दिनांक से ठेकेदार को तीन दिनों की ग्रेस अवधि अनुमत्य थी और इसके अलावा नियत तिथि तक जमा कर पाने में ठेकेदार के असफल रहने पर विभाग के पास लीज अनुबंध की कंडिका 1(अ) और 1(ब) के अन्तर्गत ठेकेदार के प्रतिभूती जमा से किस्त की राशि की कटौती का विकल्प था। इसके अलावा लीज अनुबंध की कंडिका 16 के अनुसार राशि अगर समय पर जमा नहीं की जाती है तो उसपर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किये जाने के लिये भी विभाग को अधिकार था। फिर भी अनुबंध में उपलब्ध उपरोक्त विकल्पों पर कार्यवाही न कर, विभाग ने ठेकेदार को बिना तर्कसंगत अवसर दिये जल्दबाजी में कारण बताओ

[14] ₹ 3.23 करोड़/271 दिन

नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ठेका समाप्त कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई। आगे विभाग द्वारा प्रतिदिन संग्रहित पथकर, ठेकेदार द्वारा संग्रहित पथकर से काफी कम था।

3.3.2 निष्फल व्यय

ठेकेदार की लागत पर क्षतिग्रस्त कार्य का सुधार न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का निष्फल व्यय

छत्तीसगढ़ शासन ने अम्बिकापुर में खण्डगवां-गाजीनवापारा रोड पर गेज नदी के उपर पहुँच मार्ग सहित पुल निर्माण के लिये ₹ 3.08 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी (सितम्बर 2008)। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग अम्बिकापुर ने ठेके की अनुमानित लागत ₹ 2.96 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.59 करोड़ के एकमुश्त ठेका पर कार्य पुरा करने की नियत अवधि दस महीने (वर्षा ऋतु को छोड़कर) के साथ एक ठेकेदार को कार्य सौंपा था (फरवरी 2009)। कार्यपालन अभियंता द्वारा ₹ 1.12 करोड़ (प्रतिभूति अग्रिम को छोड़कर) का अद्यतन भुगतान राशि पाँचवें चल देयक द्वारा ठेकेदार को प्रदान किया गया था (अगस्त 2011)।

अनुबंध की कंडिका 3.9 (अध्याय III) के अनुसार, कार्य के पूर्ण होने और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक कार्य से सम्बंधित समस्त सामग्रियाँ/मूल्यवान वस्तुओं का एक मात्र प्रभारी ठेकेदार होगा। सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा तथा किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति से होने वाली नुकसान की भरपायी उसके स्वयं के लागत पर किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

कार्यपालन अभियंता के अभिलेखों के जाँच (मार्च 2012) में हमने पाया कि ड्राइंग के अनुसार ठेकेदार द्वारा अबुटमेंट (A-1 तथा A-2) और सात पियरों (P-1 से P-7) के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता थी। ठेकेदार ने अबुटमेंट निर्माण का कार्य और पाँच पियरों (P-1 और P-5) का निर्माण कार्य पुरा कर लिया (अप्रैल 2011) जबकि छठे पियर का निर्माण कैप लेवल[15] तक पूर्ण हुआ था। सेतु निर्माण के दौरान वर्ष 2011 में वर्षा ऋतु में दो पीयर (P-5 और P-6) ढह गये और एक पियर (P-2) तिरछा हो गया, तदोपरान्त ठेकेदार ने शेष कार्य को अधुरा रखते हुए कार्य छोड़ दिया।

पियर के ढह जाने के पश्चात अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु मंडल, अम्बिकापुर (एस.ई) द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण (नवम्बर 2011) किया गया एवं प्रतिवेदन दिया गया कि पाइल फाउन्डेशन में कंक्रीटीकरण ना किए जाने के कारण तीन पियरों के फाउन्डेशन क्षतिग्रस्त हो गए थे, ठेकेदार द्वारा लाईनर नहीं लगाया गया था, पाईल कैप तथा पाइल का कंक्रीटीकरण कमजोर था, पाइल को चट्टान में ठीक से फिक्स नहीं किया गया था एवं ड्राइंग एव डिजाइन के अनुरूप स्टील को नहीं बांधा गया था। आगे, सम्बंधित कार्यपालन अभियंता, उप अनुभागीय अधिकारी और उप अभियंता

[15] फ्लोरिंग में स्ट्रक्चरल एलिमेंट और उसे सहारा देने के लिए प्रयुक्त फाउन्डेशन कंक्रीट ब्लॉक पीयर्स के बीच अवरोध खड़ा करने के लिए पीयर कैप का उपयोग किया जाता है।

को जारी किये गये आरोप पत्र के साथ संलग्न तथ्य पत्र के अनुसार अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। फाउन्डेशन लेवल के निर्धारण हेतु पुष्टिकारी बोरिंग नहीं खोदा गया तथा लाईनर को भी स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया गया इत्यादि। यह दर्शाता है कि कार्य की निगरानी उचित ढंग से नहीं की गई और विभाग द्वारा समयोचित कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई तथा पियरों के ढ़ह जाने के बाद निरीक्षण द्वारा (नवम्बर 2011) क्षति के कारण का विश्लेषण किया गया।

हमने आगे यह पाया कि ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम[16] के रूप में दिये गये ₹ 34.18 लाख से केवल ₹ 18.45 लाख की वसूली की गयी और शेष ₹ 15.73 लाख की वसूली लंबित थी। इस लंबित वसूली के विरूद्ध विभाग के पास प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी की राशि ₹ 12.16 लाख उपलब्ध थी। लंबित राशि की वापसी या समायोजन का कोई प्रयास विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया (मई 2013)।

चूंकि विभाग क्षतिग्रस्त कार्य में सुधार (कंडिका क्रमांक 3.9 के अनुरूप) ना तो ठेकेदार से करा पाया और ना ही विभागीय स्तर पर करा सका, शेष बचा कार्य अपूर्ण रहा और उस पर खर्च की गई राशि ₹ 1.12 करोड़ निष्फल रहा। कार्यपालन अभियंता द्वारा दी गयी सूचना (अप्रैल 2013) के अनुसार कार्य को पुनः नये कार्य के रूप लिया गया और पूर्व में निर्मित व्यय को क्षतिग्रस्त होना बताते हुए वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 60 लाख का बजट प्रावधान किया गया।

शासन ने कार्यपालन अभियंता के उत्तर को अग्रेषित किया (जुलाई 2013) जिसमें यह कहा गया कि उच्च प्राधिकारियों के पास प्रकरण विचाराधीन था और उच्च प्राधिकारियों के निर्देश प्राप्ति पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। यह भी बताया गया (मई 2013) कि लंबित सुरक्षित अग्रिम को जमा न कराये जाने के लिये ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है (अगस्त 2012) और सेतु निर्माण कार्य की क्षति के लिए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। कार्यपालन अभियंता ने आगे यह भी कहा कि शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है और जाँच के पूर्ण होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। यह भी कहा गया कि कंडिका 1.14[17] के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव उच्च प्राधिकारियों को अनुमोदन हेतु भेजा गया है (अगस्त 2012 और अप्रैल 2013) । अनुबंध समाप्ति के बाद अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से जुर्माना राशि की वसुली हेतु उचित कार्यवाही की जावेगी।

शासन का उत्तर यह प्रमाणित करता है कि कार्य के क्रियान्वयन पर समय-समय पर निगरानी करने में विभाग असफल रहा और दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के

[16] निर्माण स्थल पर लायी गयी समाग्री के प्रतिभूति पर दिया गया अग्रिम।

[17] कंडिका 1.14 यह निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार ठेके के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जैसे कार्यपालन अभियंता की अधिकृति विना ठेकेदार चार सप्ताह तक कार्य वंद रखता है, ठेकेदार द्वारा कार्य को पुरा करने में 12 सप्ताह के अधिक का विलम्ब किया गया हो, पूर्णता अवधि के आधे समय में आवश्यक निर्माण कार्य के मूल्य का 30 प्रतिशत कार्य ठेकेदार ने पूरा नहीं किया हो तो कार्यपालन अभियंता ठेका समाप्त कर सकता है।

बावजूद भी विभाग अनुबंध को समाप्त करने और वसुली के लिए समायोचित कार्यवाही करने में भी विभाग असफल रहा। अनुबंध की कंडिका 3.9 के अनुसार आगे, उसी ठेकेदार से कार्य में सुधार करने के बजाय कार्य को लेते हुए पुनः क्रियान्वयन को प्रस्ताव के परिणामतः ₹ 1.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

गृह (पुलिस) विभाग, सामाजिक क्षेत्र

3.3.3 निष्क्रिय उपकरण

विभाग का डीएनए जाँच प्रयोगशाला के लिए विभिन्न मशीनरी और उपकरणों के क्रय के तत्काल बाद प्रयोगशाला के आधारभूत संरचना को विकसित करने और डीएनए जाँच प्रयोगशाला को चलाने हेतु प्रशिक्षितकर्मी तैयार करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 1.48 करोड़ का निष्क्रिय निवेश।

छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमओपीएफ) योजना 2007-08 के अंतर्गत पुलिस बल को आधुनिक बनाने हेतु ₹ 5.31 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी (जूलाई 2008)। तदनुसार, पुलिस महानिरीक्षक ने डीऑक्सीरीबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) सिक्वेंसर[18] के क्रय और राज्य फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़, रायपुर (एसएफएसएल) में डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिये अन्य संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 1.57 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी (अगस्त 2008)।

निदेशक (एसएफएसएल) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2013) के दौरान यह पाया गया कि उपकरणों का क्रय (अप्रैल 2010) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एसटीसी) (भारत सरकार का एक उपक्रम) के द्वारा किया जाकर मई 2010 में स्थापित किया गया और ₹ 1.36 करोड़ का भुगतान एसटीसी को किया गया। उपर वर्णित उपकरण को स्थापित करने हेतु डीएनए सिक्वेंसर के क्रय के पहले ही ₹ 9.59 लाख की लागत के आवश्यक अन्य उपकरण जैसे प्रयोगशाला तापमान नियंत्रक यंत्र, पर्यावरणीय कांच सुरक्षक विभेदक बैट्री का क्रय, कर लिया गया था (नवम्बर 2009) और प्रयोगशाला के वैद्युतीकरण के लिए ₹ 2.45 लाख की राशि भी खर्च की गई थी। प्रशिक्षित अधिकरियों की उपलब्धता न होने के कारण उपकरणों के क्रय के वाबजूद भी इनका उपयोग नहीं किया जा सका।

हमने आगे यह पाया कि डीएनए सिक्वेंसर के क्रय के एक वर्ष के बाद एसएफएसएल ने अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश से एसएफएसएल, सागर, मध्यप्रदेश में डीएनए प्रशिक्षण कराने का आग्रह किया (जून 2011)। एसएफएसएल सागर इस क्षेत्र के दो अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण देने और एसएफएसएल, रायपुर में डीएनए प्रयोगशाला में डीएनए डाटाबेस के रूप में उपयोग करने के लिए राज्य के स्थाई

[18] डीएनए सिक्वेन्सार एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो मानव डीएनए के विस्तृत जाँच की क्रियाविधि को स्वयं पूरा करता है

निवासियों के प्रत्येक जाति का प्रतिनिधित्व करते हुये न्यूनतम 300 रक्त नमूना से एक डीएनए प्रोफाइल तैयार करने पर सहमत हुआ (जुलाई 2011)। एसएफएसएल, रायपुर के दो अधिकारियों वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एसएसओ) स्तर से एक और एक अन्य वैज्ञानिक अधिकारी (एसओ) डीएनए प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये गये थे। जिसमें प्रति माह दस दिन सहित कुल 90 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण नवम्बर 2011 में प्रारम्भ हुआ और प्रगतिरत था (नवम्बर 2013)। हालांकि, यह पाया गया कि एक प्रशिक्षणार्थी का चयन दूसरे पद पर हो जाने के कारण उसने नौकरी छोड़ दी और अन्य वैज्ञानिक अधिकारी को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया।

यह पाया गया कि एसटीसी को किये गये कुल ₹ 1.36 करोड़ के भुगतान में से ₹ 1.25 करोड़ की लागत के वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, रसायनों का उपयोग नही किया जा सका (दिसम्बर 2012) और प्रतिस्थापन के दिन से 12 महीनों का वॉरंटी अवधि मई 2011 में समाप्त हो गयी। अतः डीएनए परीक्षण उपकरणों के क्रय और डीएनए प्रयोगशाला को स्थापित करने हेतु अधोसंरचना के विकास पर किया गया ₹ 1.48 करोड़[19] का व्यय निष्फल रहा। डीएनए परीक्षण की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पुलिस विभाग द्वारा राज्य के बाहर से डीएनए परीक्षण कराया गया।

इसे इंगित किये जाने (जून 2013)पर, शासन ने कहा (नवम्बर 2013) कि वैज्ञानिक अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है, रसायनों का क्रय किया जा चुका है, विशिष्टियाँ तैयार की जा चुकी है और उकरणों का प्रतिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

अतः पर्याप्त अधारभूत संरचना जैसे अलग डीएनए भवन, वैज्ञानिक उपकरण, रसायनों और प्रशिक्षित तकनीकि जनशक्ति को सुनिश्चित किए बिना उपकरणों को क्रय किये जाने तथा प्रशिक्षण को विलंब से शुरू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ के उपकरण निष्क्रिय रहे। इसके अलावा, डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित करने का उद्देश्य भी पुरा नहीं किया जा सका। संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, डीएनए परीक्षण की सुविधा अगस्त 2013 तक उपयोग में नहीं लायी गयी। आगे, आवश्यक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीदी एवं प्रतिस्थापना किये जाने के बाद भी विभाग द्वारा राज्य के बाहर से डीएनए परीक्षणों पर परिहार्य व्यय किया जाना जारी था।

[19] प्रयोगशाला उपकरण ₹1.36 करोड़ इनर्वटर, बैट्री ₹ 9.59 लाख और विद्युतीकरण कार्य ₹ 2.45 लाख

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.4 परिहार्य व्यय

अनुबंध के अनुरूप पावर-फैक्टर को कायम ना रखने के साथ-साथ उच्च दाब विद्युत आपूर्ति के लिये अनुबंधित मांग के अनुपयुक्त निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 37.20 लाख का परिहार्य व्यय।

सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक, सरदार पटेल हॉस्पिटल (एसपीएच), बिलासपुर के 48 महीनों (अगस्त 2008 से सितम्बर 2012) के बिजली बिलों के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) के साथ निष्पादित अनुबंध (मई 2008) में निर्धारित औसत मासिक पावर फैक्टर[20] 0.90 के विरूद्ध, वास्तविक औसत मासिक पावर फैक्टर का रेंज 0.57 और 0.85 के बीच था। आगे, वास्तविक विद्युत उपभोग अधिकतम अनुबंधित मांग[21] (एमसीडी) मानक से काफी नीचे रहा।

अनुबंध की कंडिका 21 (ए) के अनुसार उपभोक्ता विद्युत उर्जा के उपयोग के दिनांक से उस न्यूनतम खपत की गारंटी लेगा, जो तत्समय टैरिफ पर परिगणित कि जावे अथवा इस न्यूनतम का भुगतान करेगा। गारंटीड न्यूनतम प्रभार[22] और वास्तविक प्रभार के बीच अंतर यदि कोई हो का भुगतान उपभोक्ता के द्वारा किया जावेगा। विद्युत देयकों के अनुसार, अनुबंधित माँग का 75 प्रतिशत इस गारंटीड न्यूनतम प्रभार के रूप में प्रभारित किया गया था। मूल अनुबंध के कंडिका 24 के अनुसार औसत मासिक पावर फैक्टर 0.90 से कम नही होना चाहिए, इसमें विफल होने की दशा में पर टैरिफ में विशिष्ट अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने हेतु उपभोक्ता बाध्य होगा। अनुबंध की कंडिका 13(डी) यह प्रावधानित करता था कि अगर उपभोक्ता पर्याप्त विद्युत का उपयोग कर पाने की स्थिति में ना हो तो वो अनुबंधित अवधि में एक बार उस मात्रा तक एवं उस दिनांक से अनुबंधित माँग कम करा सकता है,जैसा कि बोर्ड निर्णय करे।

उपभोग में कमी रहने और पावर फैक्टर को कायम न रखने के कारण, एसपीएच को माँग प्रभार और पॉवर फैक्टर प्रभार के रूप में कुल ₹ 20.60 लाख, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में दिखाया गया है के अतिरिक्त परिहार्य व्यय का भुगतान करना पड़ा।

अतः प्रारम्भिक चरण में अनुबंधित माँग का अनुपयुक्त निर्धारण करने के उपयोग के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के स्तर तक इसे घटाये जाने में हॉस्पिटल प्राधिकरण

---

[20] एक एसी विद्युत शक्ति प्रणाली के पावर फैक्टर को भार के वास्तविक विद्युत प्रवाह और विद्युत परिपथ में आभाषी शाक्ति के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। वास्तविक शक्ति विद्युत प्रवाह की किसी खास समय में कार्य करने की क्षमता होती है। आभाषीय शक्ति विद्युत परिपथ में प्रवाह और वोल्टेज का गुणक होता है।

[21] अगस्त 2008 से मार्च 2010 तक 500 किलो वोल्ट एम्पियर (केव्हीए) तथा अप्रैल 2010 से जुलाई 2013 तक 250 केव्हीए।

[22] अगस्त 2008 से मार्च 2010 तक 375 केव्हीए (500 केव्हीए का 75 प्रतिशत) तथा अप्रैल 2010 से जूलाई 2013 तक 188 केव्हीए (250 केव्हीए का 75 प्रतिशत)

को विफलता और पावर फैक्टर को वांछित स्तर तक बढ़ाये जाने के लिये आवश्यक कदम उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा इसे इंगित किए जाने (नवम्बर 2012) पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बिलासपुर ने जवाब दिया (जूलाई 2013) कि अस्पताल के विकासशील अवस्था में होने और कुछ मशीनों का प्रतिष्ठापन नही हो पाने के कारण उपरोक्त वर्णित अवधि में विद्युत का उपयोग कम था। उन्होने बताया कि अनुबंधित माँग को जुलाई 2013 में 250 केव्हीए से 150 केव्हीए कर दिया गया है और भविष्य में सीएसईबी बिलासपुर से परामर्श कर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

उत्तर दर्शाता है कि अनुबंधित मांग का उचित रूप से निर्धारण नहीं किया गया। अगर विद्युत उपभोग का निर्धारण करने हेतु समयोचित कार्यवाही की जाती और पॉवर फैक्टर को कायम रखने हेतु कदम उठाये जाते तो अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

इसी प्रकार, संयुक्त निदेशक सह अस्पताल अधीक्षक, डा. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पीटल (डीबीआरएएमएच), रायपुर के कार्यालय के बिजली बिलों की जाँच (अक्टुबर 2010) में यह पाया गया कि आयुष्मान एण्डोसर्जरी यूनिट (एईयू) के 45 महीनों (नवम्बर 2009 से जुलाई 2013) के बिल में औसत मासिक पावर फैक्टर 0.90 से नीचे 0.14 और 0.23 के बीच के रेंज में रहा था और खपत एमसीडी[23] से काफी नीचे थी। खपत में कमी और न्यून पावर फैक्टर के कारण अनुबंध (सितम्बर 2009) की कंडिका 2(6) के अनुसार डीबीआरएएमएच को मांग प्रभार और पॉवर फैक्टर प्रभार के रूप में ₹16.60 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (अक्टुबर 2012) पर संयुक्त निदेशक सह अस्पताल अधीक्षक, डीबीआरएएमएच, रायपुर ने कहा (जुलाई 2013) कि कुछ प्रशासनिक कारण जैसे कि अपर्याप्त मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सिविल कार्यों का पूरा न हो पाना, मशीनरियों के प्रतिष्ठापन और प्रदर्शन में विलम्ब इत्यादि के कारण एईयु को तत्काल शुरू नहीं किया जा सका। एईयू के निकट भविष्य में फिर से शुरू होने की प्रत्याशा में लोकहित में बिजली कनेक्शन को नहीं कटाया गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि अस्पताल प्रशासन ने एईयू के क्रियाशील होने को सुनिश्चित किये बिना ही बिजली कनेक्शन ले लिया था जिसके परिणामस्वरूप यूनिट पर परिहार्य विद्युत प्रभार का परिहार्य व्यय हुआ।

चर्चा के दौरान (नवम्बर 2013) प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत होते हुए कहा कि विद्युत कनेक्शन और उपकरणों के प्रतिष्ठापन के कार्य का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का है। आवश्यक विद्युत खपत हेतु उनके निर्धारण के आधार पर स्वास्थ्य विभाग,ने सीएसपीडीसीएल के साथ अनुबंध

[23] नवम्बर 2009 से जुलाई 2013 तक 130 केव्हीए

किया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के सभी भवनों के विद्युत खपत का पुनः निर्धारण करने के लिये लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के समक्ष प्रकरण उठाया जायेगा और तदोपरांत उपर्युक्त कार्यवाही की जावेगी।

जल संसाधन विभाग

3.3.5 निष्फल व्यय

कार्य आदेश जारी करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 92.08 लाख का निष्फल व्यय और सिंचाई को नियमित करने के उद्देश्य का पूरा न होना।

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.10.4 के अनुसार, 'जब प्राक्कलन स्वीकृत किया जाए और राशि आवंटित हो जाए, प्राधिकारी (यानि कि ईई या एसई) द्वारा अर्जन हेतु आवेदन कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए और उपरोक्त कंडिका के नीचे दिये गये टीप (3) के अनुसार किसी भी कार्य को हाथ में लेने से पूर्व उक्त कार्य विशेष के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।'

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'कोरंजा टैंक प्रोजेक्ट' के निर्माण के लिये ₹ 4.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान की गई थी (दिसम्बर 2004)। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ₹ 4.15 करोड़ के ऋण स्वीकृति (अगस्त 2005) द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया । योजना के अंतर्गत मुख्य बंड, मुख्य जल द्वार, स्पील चैनल इत्यादि कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता हंसदेव कछार, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर, द्वारा ₹ 3.92 करोड़ के लिये दी (अक्टूबर 2005)। उपरोक्त कार्यों के लिए ठेके की अनुमानित लागत ₹ 2.75 करोड़ के लिये मद दर निविदा आमंत्रित कि गई (नवम्बर 2005) और कार्य पुरा करने की नियत अवधि वर्षा काल सहित 6 माह के साथ अनुबंध क्र. 8 डीएल /2005-06 के अंतर्गत ₹ 2.21 करोड़ के लिये एक ठेकेदार को कार्य प्रदान किया गया।

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जशपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) में पाया गया कि कार्य का क्रियान्वयन शासकीय तथा निजी भूमि पर होना था, फिर भी कार्य आदेश जारी करने से पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। आगे, जाँच में पाया गया कि ग्रामीणों की भूमि पर कार्यों के निष्पादन का उनके द्वारा विरोध किया गया और जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2006 कार्य को रूकवा दिया गया। हांलाकि, ठेकेदार द्वारा 11 दिनों[24] में किये गये कार्यों को किया जाना दर्शाते हुए प्रस्तुत किये गये बिल के आधार पर उसे ₹ 92.08 लाख का भुगतान दिनांक 25 मार्च 2006 को किया गया। आवश्यक भूमि अभी तक (अगस्त 2013) अधिग्रहित नहीं कर पाने से शेष कार्य निष्पादन नहीं हों पाया था। अतः, अ-भारग्रस्त भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये जाने के बिना कार्य आदेश जारी किये जाने के कारण कार्य अपूर्ण रहा और अपूर्ण कार्य के निष्पादन पर किये गये ₹ 92.08 लाख का

[24] 14.03.2006 से 24.03.2006 के बीच

व्यय निष्फल रहा। भूमि पर पिछले सात वर्षों से आगे कार्य का निष्पादन नहीं कराये जाने के कारण निष्पादित कार्यों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता (जैसा कि फोटोग्राफ में दिया गया है)।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2013) पर, प्रमुख अभियंता ने कहा (मई 2013) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले कार्यों के निष्पादन हेतु तात्कालीन कार्यपालन अभियंता, तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी और तात्कालीन उप-अभियंता के विरूद्ध शासन द्वारा जाँच संस्थापित की गयी थी।किन्तु आरोप प्रमाणित नहीं हो सकने के कारण इन सभी अधिकारियों के जाँच प्रकरण समाप्त कर दिये गये थे। उन्होने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रकरण तैयार किये जा चुके थे तथा जिलाधिकारी जशपुर को प्रस्तुत कर दिये गये थे (अप्रैल 2006 और दिसम्बर 2007) । भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के पुरा होने पर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।अतः किया गया व्यय निष्फल नहीं है।

उत्तर पुष्टि करता है कि कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन में कार्य आदेश देने से पहले अ-भारग्रस्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा। सात वर्ष बीत जाने के बाद भी आज दिनांक (अगस्त 2013) तक भूमि अर्जित नहीं हो सकी। इसके अलावा, ऋण लेकर 526 हेक्टेअर भूमि के सिंचाई की संभावना का उद्देश्य भी पूरा नहीं किया जा सका।

आगे, यह पाया गया कि अनुबंध में दिये गये कार्य योजना के अनुसार ठेकेदार को छः महीने में कार्य पुरा किया जाना था परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया गया । हालांकि, ठेकेदार के द्वारा 11 दिनों में निष्पादित बताया गया कार्य, कार्य योजना के प्रथम माह में किये जाने वाले कार्य से 14 और 336 प्रतिशत के बीच अधिक था (जैसा कि नीचे तालिका में बताया गया है)। छः माह में किये जाने वाले कार्यों के कुल मूल्य का 41 प्रतिशत राशि 11 दिनों में किया जाना बताये जाने के आधार पर ठेकेदार को ₹ 92.08 लाख का भुगतान किया गया।

तालिका: विभाग द्वारा जारी किए गए कार्य योजना के विरूद्ध किए गए कार्यों का विवरण

स.क्र	कार्यों का मद	अनुबंध के कार्ययोजना (परिशिष्ट जी) के अनुसार पहले माह में का किया जाने वाला कार्य	ठेकेदार द्वारा 11 दिनों में वास्तविक निष्पादित बताया गया कार्य	ठेकेदार द्वारा किया गया अधिक कार्य
1.	सभी प्रकार के मिट्टी की खुदाई	40,000 घन मी.	45640.20 घन मी	5640.20 घन मी (14.10 *प्रतिशत*)
2.	डीआर और एसआर की खुदाई	10,000 घन मी	43695.53 घन मी	33695.53 घन मी (336.95 *प्रतिशत*)
3.	कट ऑफ ट्रेन्च	10,000 घन मी	27,396.49 घन मी	17,396.49 घन मी (173.96 *प्रतिशत*)
4.	फिल्टर ब्लैन्केट			
(अ)	मेटल लेयर	1200 घन मी	1930.64 घन मी	730.64 घन मी (60.89 *प्रतिशत*)
(ब)	सैंड लेयर	1200 घन मी	1930.64 घन मी	730.64 घन मी (60.89 *प्रतिशत*)

हालांकि, एक महीने का कार्य 11 दिन की अल्प अवधि में वास्तव में निष्पादित किये जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे माप पुस्तिका (एमबी) और किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र आदि लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यपालन अभियंता द्वारा सूचित किया गया (जून 2013) कि उक्त कार्य की एमबी तात्कालीन कार्यपालन अभियंता के पास रखी हुयी थी और कार्यालय को नहीं लौटायी गयी थी। लेखापरीक्षा कार्मिकी और कार्यपालन अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया (जून 2013) था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में कार्य के दोहरे निष्पादन पर प्रकाश डालने पर कार्यपालन अभियंता ने कहा कि बंड के लिए खुदाई और मिट्टी कार्य का निष्पादन ठेकेदार द्वारा किया गया था। परन्तु केवल आँखों से देखकर मात्रा की गणना नहीं की जा सकती है और इसके लिये विस्तृत माप की आवश्यकता है। चूँकि कार्यस्थल पर माप नहीं लिया गया है अतः खुदाई की सटीक मात्रा के बारे में नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ ट्रेन्च फिल्टर को प्रदान करने और भरने का कार्य छुपे हुए मद के है जो बिना उपर्युक्त जाँच पड़ताल के यह पता नहीं किया जा सकता है कि कार्य का निष्पादन हुआ अथवा नहीं।

निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता और ₹ 92.08 लाख का भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। हालांकि, एमबी को प्राप्त करने हेतु (सितम्बर 2012) के पश्चात शासन द्वारा किये गये प्रयास नहीं पाये गये।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने कहा (नवम्बर 2013) सम्बंधित से आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो कछार को निर्देश जारी कर दिये गये कि संबंधित द्वारा अभिलेख प्रदाय नहीं करने की स्थति में नियमानुसार उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये है। शासन ने यह भी कहा कि प्रकरण की विवेचना हेतु एक जाँच समिति संस्थापित कर दी गयी है (अक्टूबर 2013)।

पशुपालन विभाग

3.3.6 निष्क्रिय व्यय

शीत ईकाई के लिए शीत केबिनेट नहीं खरीदे जाने के परिणामस्वरूप ₹ 63 लाख का निष्क्रिय व्यय और योजना के निहित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के योजना प्रस्ताव के अनुसार, मवेशियों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए विभाग विभिन्न टीकों की खरीद करता है। आवश्यक टीकों जैसे पेस्टी-डेस-पेटीटस रूमिनेटम (पीपीआर), रानिखेत डिसीज (आरडी) और फॉउल पॉक्स (एफपी) जीवन रक्षक टीके हैं जिसे दृढ शीत श्रृंखला प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, जबकि हेमोराईजिक सेप्टीसेमिया (एचएस) ब्लैक क्वार्टर (बीक्यू), फूट एण्ड माउथ डिसीज (एफएमडी) टीकों को 4-8 $^{\circ}C$ पर 1-5 से अधिक दिन तक रखने की जरूरत होती है। अगर किसी भी चरण पर शीत श्रृंखला टुटती है, तो फील्ड में यहां तक कि प्रयोगशाला में भी टीकों की गुणवता का आकलन किया जाना संभव नहीं होगा। और इससे चलाये जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम का पूरा प्रयास संकट में पड़ जाएगा।

पुरे राज्य में पशुओं के सामूहिक टीकाकरण को लागू कर प्रखंड स्तर पर शीत श्रृंखला के संधारण द्वारा पशुधन की मृत्यु-दर में कमी लाने के लिए टीकों और दवाईयों के भण्डारण हेतु शीत अनुभागों की प्रतिष्ठापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 2.12 करोड़[25] की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (जुलाई और सितम्बर 2008)। राशि का उपयोग तीन फेज में विद्युतीकरण सहित 18 शीत-गृह के निर्माण और उनमें शीत-केबिनेट[26] का प्रतिष्ठापन में किया जाना था।

संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के अभिलेखों की जाँच (अक्टुबर 2012) में पाया गया कि शीत गृह में कमरों के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसियों (लोक निर्माण संभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) को निधि उपलब्ध करायी गयी। स्वीकृत राशि ₹ 2.12 करोड़ के विरूद्ध ₹ 63 लाख की राशि 18 शीत केबिनेट के लिये भवन निर्माण के सिविल कार्य पर खर्च किया गया जिसमें से 16 शीत केबिनेट[27] के लिये भवन का निर्माण 2009-11 के बीच में पुरा हुआ और दो[28] अगस्त 2013 तक अधूरे थे। हालांकि, शीत-केन्द्र के लिए आवश्यक शीत केबिनेट का क्रय विभाग अथवा जिला कार्यालय के द्वारा नहीं किया गया, जबकि इसके लिए निधि उपलब्ध थी। चूँकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2012 में समाप्त हो गई थी, उपलब्ध निधि को आगे पुनः वैधिकृत नहीं

[25] ₹ 117.50 लाख जुलाई 2008 में और ₹ 94 लाख सितम्बर 2008 में

[26]

शीत गृह	18 नग ₹ 8.25 प्रति लाख की दर से	₹ 148.50 लाख
18 हॉल का निर्माण	18 नग ₹ 3.00 प्रति लाख की दर से	₹ 54 लाख
तीन चरणों का विद्युतीकरण प्रभार	18 नग ₹ 0.50 प्रति लाख की दर से	₹ 9 लाख

[27] बीजापुर, बिलासपुर, चांपा, दन्तेवाड़ा, दुर्ग, धमतरी, जशपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरिया, कोरबा, महासमुन्द, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव एवं रायपुर

[28] सरगुजा एवं कवर्धा

किया जा सकता था और शीत-गृह के लिये चिन्हित ₹ 1.49 करोड़ की राशि की स्वीकृति रद्द कर दी गयी।

अतः, प्रर्याप्त मद उपलब्ध रहते हुए भी शीत केबिनेट का क्रय नहीं किये जाने के कारण ₹ 63 लाख खर्च कर निर्मित शीत केन्द्र को क्रियाशील नहीं किया जा सका। इससे ना केवल निर्मित आधारभूत संरचना एक से तीन वर्षों के लिए निष्क्रिय पड़ी रही बल्कि उस योजना के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी जिसके लिए विभाग को वर्ष 2008-09 में निधि उपलब्ध करायी गयी थी।

इसे इंगित किए जाने (अक्टूबर 2012) पर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ ने कहा (जुलाई 2013) कि यद्यपि शीत केबिनेट के क्रय के लिये निधि वर्ष 2008-09 से उपलब्ध है, 2008-09 से 2011-12 तक सभी वर्षों में संचालनालय और जिला मुख्यालयों द्वारा अलग-अलग बार-बार निविदा/ई-निविदा जारी करने के बाद भी भण्डार क्रय नियम के अनुपालन में क्रय समिति द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं हो पाने के कारण शीत केबिनेट का क्रय नहीं किया जा सका। हालांकि, वर्ष 2013-14 में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएससी) ने एक योजना अनुमोदित की थी जिसमें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 18 शीत कैबिनेट का क्रय किया जाना था।

शासन का उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा विगत चार वर्षों (2008-12) में प्रर्याप्त निधि उपलब्ध रहने के बावजूद शीत केबिनेट के क्रय के लिये दरों के अंतिमीकरण के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जाने में विभाग विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप शीत केबिनेट प्रतिष्ठापन के लिये निर्मित अधोसंरचना निरंतर निष्क्रिय पड़ी रही।

रायपुर **(पूर्ण चन्द्र माझी)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**